



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15112022-240299
CG-DL-E-15112022-240299

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5087]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 15, 2022/कार्तिक 24, 1944

No. 5087]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 15, 2022/KARTIKA 24, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2022

का.आ. 5307(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 30(अ), दिनांक 05 जनवरी, 2017 और संशोधित अधिसूचना संख्या का.आ. 1694(अ), दिनांक 26 मई, 2017 द्वारा झारखंड/ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-6 के (बहरागोड़ा-सिंधारा-सम्भलपुर सेक्शन) 199.200 किमी से 565.780 कि.मी. तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्राधिकरण” कहा जाए) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 समय-समय पर संशोधित (जिसे इसमें इसके पश्चात् “नियम” कहा जाए) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 06 (नया एनएच-53) के तेलीबनी से संबलपुर सेक्शन के डिजाइन कि.मी. 493.300 से 521.825 कि.मी. तक और 545.176 कि.मी. से 567.400 कि.मी. के सड़क खंड की निवल लंबाई 42.827 कि.मी. के चार लेन सेक्शन और 5.170 कि.मी. (जिसकी संरचना लम्बाई 0.517 कि.मी.) की समकक्ष संरचना लम्बाई (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनो पर नीचे तालिका 1 के स्तम्भ (2) में 100% की दर पर और बाइपासों जिनकी कुल लम्बाई 3.150 कि.मी. है के लिए आधार दर के डेढ़ गुना दर से नीचे तालिका 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनो पर शुल्क उद्धृत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) या अर्थ मूविंग यंत्र (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.)(चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे वसूल एवं एकत्र किया जाने वाला शुल्क, शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु देय और भुगतान योग्य होगा अर्थात:-

तालिका -2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी.में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में निलडुंगरी और पुडापाड़ा गांव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग -6(नया रा-53) के डिजाइन कि.मी. 551.800 पर	42.827 (10 करोड़ रुपए से अधिक लागत के बाइपास की लम्बाई को छोड़कर और 60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर)	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

- 2 उपर्युक्त के अतिरिक्त, बाइपास, जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए से अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की लम्बाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्द और संदेय होगा:

तालिका -3						
टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	पर शुरू हो कर	पर मिलते हुए	बाइपास की लम्बाई जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है		दर जिस पर शुल्क संदेय है
				लम्बाई (कि.मी.)	लागत (करोड़ में)	
ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में निलडुंगरी और पुडापाड़ा गांव के निकट	एनएच-6(नया एनएच-53) का जमकीरा बाईपास	डिजाइन कि.मी. 515.750	डिजाइन कि.मी. 518.900	3.150	48.31	ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दर का 150%

राष्ट्रीय राजमार्ग - 6(नया रारा- 53) के डिजाइन कि.मी. 551.800 पर						
--	--	--	--	--	--	--

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं पर निम्नलिखित भी देय और भुगतान योग्य होगा:

तालिका-4			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की लम्बाई के समान परिवर्तित संरचना की लम्बाई (कि.मी. में)	समकक्ष सड़क लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क देय है
ओडिशा राज्य के संबलपुर जिले में निलडुंगरी और पुडापाड़ा गांव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग -6(नया रारा-53) के डिजाइन कि.मी. 551.800 पर	0.517*	5.170	चार और अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका -1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

^ संरचनाओं का विवरण निम्नानुसार है;

	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (कि.मी.) में
	कि.मी.से	कि.मी तक		
(1)	561.691	561.754	रेलवे ओवर पास	0.063
(2)	562.314	562.510	फ्लाईओवर	0.098
(3)	546.000	546.099	बड़ा पुल	0.099
(4)	559.394	559.516	बड़ा पुल	0.122
(5)	563.093	563.228	बड़ा पुल	0.135
कुल				0.517

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए मासिक पास की दर 315.00/- रूपए (तीन सौ पंद्रह रूपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

तालिका - 5		
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की दिनांक: से एक माह

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7 जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम 1ए में विनिर्दिष्ट के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, प्रयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस परियोजना का अनुमानित पूंजीगत लागत 712.820 करोड़ रुपए है। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/13013/सीओ/22-23/शुल्क अधिसूचना/ तेलीबनी से संबलपुर सेक्शन(पीएफ)]

महमूद अहमद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2022

S.O. 5307(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 30(E) dated 05th January 2017 and amendment vide S.O. 1694(E) dated 26th May 2017 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 199.200 to km 565.780 (Baharagora-Singhara-Sambhalpur Section) of National Highway No. 6 in the State of Jharkhand/Odisha to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”)

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at the 100% of rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 42.827 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 5.170 km (having structure length 0.517 km) and at one and one half times the base rate for bypasses having an aggregate length of 3.150 km on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of four lane from from Design Km.493.300 to Km.521.825 and Design Km. 545.176 to Km.567.400 of Teleibani to Sambalpur Section of National Highway No 6(New NH-53) in the State of Odisha and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1	
Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
At Design Km 551.800 of NH-6(New NH-53) near Pudapada & Nildungri village in Sambalpur district of Odisha.	42.827 [Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m)]	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the bypass costing Rs 10 crore or more at the following Fee Plaza for net bypass length specified for such Fee Plaza: -

Table-3						
Location of Fee Plaza (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length and Cost of bypass for which additional fee is payable		Rate at which fee is payable
				Length (in Km.)	Cost (in Rs. Crore)	
At Design Km 551.800 of NH-6(New NH-53) near Pudapada & Nildungri village in Sambalpur district of Odisha.	Jamankira Bypass of NH-6(New NH-53)	Design km 515.750	Design km 518.900	3.150	48.31	150% for four and more lane of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

Table-4			
Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which fee is payable
At Design Km 551.800 of NH-6(New NH-53) near Pudapada & Nildungri village in Sambalpur district of Odisha.	0.517 ^	5.170	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

^The details of structures is as under: -

	Chainage		Type of Structure	Length (in km)
	From Km	To Km		
1	561.691	561.754	Railway Over Pass	0.063
2	562.314	562.510	Flyover	0.098
3	546.000	546.099	Major Bridge	0.099
4	559.394	559.516	Major Bridge	0.122
5	563.093	563.228	Major Bridge	0.135
Total				0.517

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 315 (Three hundred and Fifteen Only) for the year 2022-23 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5		
Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of

the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 712.820 Crore. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/CO/22-23/Fee Notification/Teleibani-Sambalpur Section(PF)]

MAHMOOD AHMED, Jt. Secy.